जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जोधपुर

(वाणिज्य विभाग)

क्र./जो.वि.वि.नि.लि./अ.अ. (वाणिज्य) /सी–1/पत्रा 2042 प्रे.सं. जोधपुर दिनांक 8/2/2002

आदेश

विषय :– स्वीकृत भार से एक कुंए में दो मोटर चलाने बाबत् :–

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के जालोर एंव बाड़मेर जिलो में ऐसे मामले ध्यान में आये है, जहाँ एक कुंए (ओपन वेल) में एक स्वीकृत कृषि विद्युत कनेक्शन से अथवा नियमानुसार उसका भार बढ़ाकर दो मोटरे, एक ही कुंए में चलाई जा रही है, तथा निरीक्षण के दौरान कृषकों के विरुद्व मामले बनाये गये है।

उपर्युक्त विषय में समन्वय समिति की 36वीं बैठक दिनांक 02.02.2002 में चर्चा दौरान लिये गये निर्णयानुसार किसी कुंए में कृषि विद्युत कनेक्शन के मामले में कनेक्शन का सम्बन्धित क्षेत्र कुआ (ओपन वैल) माना गया है, न कि मात्र मोटर। अतः एक कृषि उपभोक्ता द्वारा एक ही कुंए में स्वीकृत भार से अथवा नियमानुसार अपने कनेक्शन का भार बढ़वाकर उसी कुंए (ओपन वैल) में दूसरी मोटर चलाई जा सकती है (दोनो मोटरों का कुल भार स्वीकृत भार की सीमा में हो)। परन्तु एक विद्युत कनेक्शन से स्वीकृत भार अथवा भार बढ़ाकर बोरिंग (टयुबवैल)में दूसरी मोटर/पम्प नहीं चलाया जा सकता ।

आज्ञा से

(ओ.पी.माथुर)
अधीक्षण अभियंता (वाणिज्य)
जो.वि.वि.नि.लि., जोधपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को वास्ते सूचनार्थ प्रेषित है।:–

1. सचिव, उर्जा विभाग, जयपुर ।
2. सम्भागीय मुख्य अभियन्ता (परि. एवं सधा–जोधपुर जोन/बीकानेर जोन), जोधपुर डिस्काम,जोधपुर /बीकानेर।
3. मुख्य लेखाधिकारी/वित्तिय सलाहकार, जोधपुर डिस्कॉम जोधपुर ।
4. उपमुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), जोधपुर डिस्कॉम जोधपुर।
5. उपमुख्य अभियन्ता (उर्जा), रीको जयपुर ।
6. अधीक्षण अभियन्ता (नगर/जिला/परि एवं सधां/पी.पी.एण्ड एम/पदार्थ प्रबन्ध/ एम एण्ड पी/बीएफएल)जोधपुरडिस्कॉम,जोधपुर/पाली/बीकानेर/बाड़मेर/जैसलमेर/चुरु/श्रीगंगानगर /हनुमानगढ़
7. वरिष्ठ लेखाधिकारी (परि. एवं सधां./एम. एम./अकेंक्षण) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/बीकानेर।
8. निजी सचिव, माननीय उर्जा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
9. उप अधीक्षक पुलिस (सतर्कता) जोधपुर डिस्कॉम जोधपुर।
10. कम्पनी सचिव/उपनिदेशक (पी.) जोधपुर डिस्कॉम जोधपुर।
11. अधिशाषी अभियन्ता (विधि/एम. आई. एस./आन्तरिक अंकेक्षण) जोधपुर डिस्कॉम जोधपुर।
12. अधिशाषी अभियंता (पवस/ग्राविनि) जोधपुर डिस्काम, ––––––––को अपने अधीनस्थ सभी सहायक अभियंता/कनिष्ठ अभियंता/सहायक राजस्व अधिकारी को वितरण हेतु अतिरिक्त प्रतिलिपियों सहित.
13. तकनीकी सहायक, माननीय अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक जोधपुर डिस्कॉम/ अजमेर डिस्कॉम/जयपुर डिस्कॉम, जोधपुर/अजमेर/जयपुर को माननीय अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के अवलोकनार्थ ।
14. जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
15. लेखाधिकारी (वाणिज्य), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर

(एन.एम. सिंघवी)
अधिशाषी अभियन्ता (वाणिज्य)
जो. वि. वि. नि. लि. ,जोधपुर